



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:—एफ-07/193/ रालसा-संस्था/एसीआर पत्राचार/2022/ 462

दिनांक 27/8/2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ-07/193/ रालसा-संस्था/एसीआर पत्राचार/2022/288 दिनांक 28.05.2022 द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थाई लोक अदालत कार्यालयों में कार्यरत गैर-न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं इसके उपरान्त भरे जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के क्रम में ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे, किन्तु, राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने में तकनीकी कठिनाईयों के दृष्टिगत माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं इसके उपरान्त भरे जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्व की भांति आगामी आदेशों तक ऑफलाईन भरे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्तांकित कार्यालयों में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कार्मिक निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं इसके उपरान्त भरे जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन ही भरेंगे।

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ-07/193/ रालसा-संस्था/एसीआर पत्राचार/2022/288 दिनांक 28.05.2022 में वर्णित शेष अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

आज्ञा से

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक:—एफ-07/193/ रालसा-संस्था/एसीआर पत्राचार/2022/ 23952-23962 दिनांक 29/8/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव-प्रथम/उपसचिव-द्वितीय/उपसचिव-एपी एवं एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
5. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त कर्मचारीगण, प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी को सूचित करावें।
7. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, समस्त राजस्थान।
8. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को आदेश की प्रति बेवसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
9. वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड-प्रथम/कम्प्यूटर प्रोग्रामर सहायक सचिव/निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सहायक कार्यालय हाजा।
10. समस्त अधिकारी/कर्मचारी.....।
11. संबंधित पत्रावली/आदेश/रक्षित पत्रावली।

27/8/2022

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।